फा.सं. 13035-7/2016-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 29 मई, 2017
3.6.2017

परिपत्र

विषय: वेबसाइट का द्विभाषीकरण।

****

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के प्रयोग के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक कार्यालय की वेबसाइट हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। इस अपेक्षा का पालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों से 03 फरवरी, 2016 के परिपत्र द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वे अपने कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी रूप में तैयार करवाएं। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना से यह संज्ञान में आया है कि अभी भी कुछेक कार्यालयों की वेबसाइट हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। कुछ कार्यालयों की वेबसाइट के केवल होमपेज ही हिन्दी में हैं परन्तु वेबसाइट में उपलब्ध सामग्री (Contents) हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जिन कार्यालयों की वेबसाइट अभी भी हिन्दी में उपलब्ध नहीं है, ऐसे सभी कार्यालय प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्यालय की वेबसाइट हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनवाएं और उसमें सामग्री (Contents) को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवाएं। वेबसाइट में दी गई सूचना को निरंतर अद्यतन किया जाए। वेबसाइट में ऑडियो, यदि कोई हो, के शीर्ष हिंदी में दिए जाएं। ऑडियो के नीचे फुटेज में उसका हिंदी रूपांतर भी दिया जाए। कृपया की गई कार्रवाई की सूचना मंत्रालय को अविलंब भिजवाने की व्यवस्था करें।

केवल शर्मा

(केवल कुमार शर्मा)
सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग

वितरण:

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी कार्यालयों के प्रमुख।
2. सीएमआईएस यूनिट - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. गार्ड फाइल।

फा.सं. 13035-7/2016-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 29 मई, 2017
3.6.2017

परिपत्र

विषय: मंत्रालय की वेबसाइट के द्विभाषीकरण के संबंध में।

****

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के प्रयोग के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक कार्यालय की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अनुपालन के लिए पहले भी दिनांक 07 दिसंबर, 2016 के समसंख्यक परिपत्र द्वारा मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुखों से इन आदेशों को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। अभी हाल में माननीय राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भी इस विषय को गंभीरता से लिया गया। तद्नुसार कृपया सुनिश्चित किया जाए कि

- वेबसाइट पर आपके ब्यूरो की **संपूर्ण सूचना** अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी उपलब्ध है तथा हिंदी रूपांतर को अंग्रेजी रूपांतर के साथ-साथ नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।
- ऑडियो के नीचे फुटेज में उसका हिंदी रूपांतर भी दिया जा रहा है।
- ऑडियो के शीर्ष हिंदी में दिए जा रहे हैं।
- ब्यूरो से संबंधित अधिनियम/नियम आदि द्विभाषी रूप से अपलोड किए गए हैं।

सभी ब्यूरो प्रमुख कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि वे अपने ब्यूरो की सामग्री वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनके ब्यूरो के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों की वेबसाइटों पर सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध है।

केवल शर्मा

(केवल कुमार शर्मा)
सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग

वितरण:

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुख।
2. सीएमआईएस यूनिट - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. गार्ड फाइल।